News' of 13 March, 1979, has been seen.

(b) & (c). The allegation in the news item was that funds of the Paradip Port Trust had been misappropriated in connection with a 'Souvenir' brought out in 1972 on the occasion of a Seminar. The 'Souvenir' was not, however, brought out by or on behalf of the Port Trust, it was published by the Editor. Therefore, the question of misappropriation of Port Trust's funds does not arise.

जमालपुर कारखाने में श्रमिकों की संख्या

11115. डा० रामजी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता से पूर्व और इस समय जमालपुर कारखाना में श्रमिकों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं।

(ख) आस-पास के क्षेत्रों से जमालपुर कारखाने में किस अनुपात में छोटे कल-पुर्जे सप्लाई किये जाते हैं ;

(ग) क्या जमालपुर को सहायक औद्योगिक नगर घोषित किया गया है, यदि हां, तो यहां से खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा क्या है और यदि नहीं, तो इसे सहायक औद्योगिक नगर कब घोषित किया जायेगा, और

(घ) क्या जमालपुर कारखाने के मुख्यालय को जमालपुर ले जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) स्वतंत्रता से पूर्व जमालपुर फैक्टरी के कर्मचारियों की संख्या 12,742 थी। वर्तमान संख्या 13,431 है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) रेल कारखानों से सम्बद्ध सहायक यूनिटों के विकास की संकल्पना की गहराई से जांच की गयी है और रेल कारखानों के निकट लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने का विनिश्चय किया गया है।

(घ) जमालपुर कारखाना स्वतंत्र रूप से अधीक्षक यांत्रिक (कारखाना) के अधीन है, जिसका मुख्यालय जमालपुर में है। स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। जमालपुर और पूर्व रेलवे के अन्य सभी कारखाने मुख्य कारखाना इंजीनियर, पूर्व रेलवे के समग्र नियंत्रण के अधीन हैं, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है।

जावरा शूगर मिल के विरुद्ध भविष्य निधि की बकाया राशि

11116. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की भविष्य निधि की जावरा शूगर मिल्स के प्रबंधकों पर लगभग 5 लाख रुपये की राशि बकाया है ;

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की है ;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन उक्त मिल को छूट प्रदान की गई है ;

(घ) क्या छूट के बारे में उपबन्ध को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिल के विरुद्ध दायर किए गए भविष्य निधि के मामलों की संख्या कितनी है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह)